फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कादरीगेट

दिनांक – 31.07.2026

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त व 01 बाल अपचारी को 01 नाजायज पिस्टल .32 बोर, मैगजीन व 07 जिंदा कारतूस .32 बोर व घटना में प्रयुक्त कार सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 183/2026 धारा 103(1)/61 (2) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित/वांछित 01 अभियुक्त सोनू उर्फ कर्मवीर पुत्र नरेन्द्र डागर निवासी ग्राम धतीर थाना गदपुरी जिला पलवल (हरियाणा) व 01 बाल अपचारी को 01 नाजायज पिस्टल.32 बोर मैगजीन सहित व 07 जिंदा कारतूस .32 बोर, 3340 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 कार मारुती सुजूकी फ्रांक्स बिना नम्बर प्लेट सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सोनू उर्फ कर्मवीर पुत्र नरेन्द्र डागर निवासी ग्राम धतीर थाना गदपुरी जिला पलवल (हरियाणा)।
2. 01 बाल अपचारी

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष श्री कपिल कुमार
02. उ0नि0 श्री अरविन्द यादव
03. उ0नि0 श्री हरिकेश कुमार
04. कां0 पंकज कुमार
05. का0 सुरेन्द्र पाल
06. का अक्षय कुमार
07. का0 अनिल कुमार
08. का0 आकाश सोलंकी

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक - 31.07.2026

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वालें 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 233/26 धारा 137(2)/61(2)/352/351(3)/87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त प्रबल प्रताप उर्फ अंशू पुत्र गोविन्द सिंह निवासी अरसानी कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01. प्रबल प्रताप उर्फ अंशू पुत्र गोविन्द सिंह निवासी अरसानी कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 26.07.2026 को वादिनी द्वारा तहरीर दी गई कि थाना कादरीगेट क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तों ने वादिनी के पति अरुण हुड्डा की गोली मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0 183/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम रोहित पुत्र हरिचन्द्र निवासी दयालपुर, बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा) आदि 03 नफर पंजीकृत कर थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 01 अभियुक्त सोनू उर्फ कर्मवीर पुत्र नरेन्द्र डागर निवासी ग्राम धतीर थाना गदपुरी जिला पलवल (हरियाणा) व 01 बाल अपचारी को 01 नाजायज पिस्टल मैगजीन.32 बोर सहित व 07 जिंदा कारतूस .32 बोर, 3340 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 कार मारुती सुजूकी फ्रांक्स बिना नम्बर प्लेट सहित गिरफ्तार कर विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त सोनू उर्फ कर्मवीर व बाल अपचारी ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 26.07.2026 को फर्रुखाबाद मे अरुण हुड्डा का मर्डर हुआ था। उसका मर्डर रोहित पुत्र हरिचन्द्र व रंजीत पुत्र रघुवीर उर्फ लीलू निवासीगण दयालपुर , बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा) ने करवाया था। रंजीत और रोहित ने पहले से ही अरुण हुड्डा को मारने का प्लान बनाया था। रोहित और अरुण में पहले किसी बात को लेकर गाली गलौज हो चुकी थी इसलिये दोनो एक दूसरे से दुश्मनी मानते थे। रोहित ने रंजीत के चाचा के लड़के अमित पुत्र दलवीर से पहले ही एक पिस्टल 43000 रुपये में ली थी। जब रोहित को पता चला कि अरूण कही घूमने गया है, तब उसका पीछा करते करते फर्रूखाबाद पहुँचे और वहाँ मौका पाकर साहिल ने गोली मारकर अरूण की हत्या कर दी। साहब मैने रोहित के कहने पर उसको अपनी कार दे दी थी। मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए।

अभियुक्त सोनू उर्फ कर्मवीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 183/2026 धारा 103(1)/61 (2) बीएनएसरा व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़

02. अन्य थानों/जनपद / राज्य (हरियाणा) से जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

01.01 नाजायज पिस्टल.32 बोर मैगजीन सहित

02.07 जिंदा कारतूस .32 बोर

03.3340 रुपये नगद

04.01 कार मारुती सुजूकी फ्रांक्स बिना नम्बर प्लेट

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

फतेहगढ़ पुलिस

* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण *

#OperationConviction

थाना - कम्पिल

दिनांक-31.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान व " मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण " के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्वन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.रजित कुमार पुत्र रामनरेश निवासी तुर्क तलैया थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ 2.अरविन्द कुमार पुत्र राजपाल निवासी मोहल्ला कड्डी थाना जैथरा जिला एटा मु0अ0स0 - 14/2019 वाद संख्या 45/2019 व 290/2020 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 व 16/17 पॉक्सो एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय पॉक्सो प्रथम कोर्ट द्वारा दिनांक 31.07.2026 को अभियुक्त रजित कुमार को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 15000/- रुपये अर्थदण्ड व अभियुक्त अरविन्द कुमार को दोषसिद्ध कर 04 वर्ष कठोर कारावास व 8000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी - श्री प्रदीप सिंह

एडीजीसी - श्री भानु प्रकाश मिश्रा

को0 मो0 हे0 का0 तेजसिंह

पैरोकार – हे0का0 अमन

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली - मोहम्मदाबाद

दि0-31.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अरुण उर्फ अकिलानन्द उर्फ गट्टू पुत्र लालता प्रसाद निवासी नदुलिया थाना बेबर जनपद मैनपुरी मु0अ0स0 - 248/2012 वाद संख्या 27/2012 धारा 302 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय एडीजे-02 / एस0सी/एस0टी कोर्ट द्वारा दिनांक 31.07.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 100000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी-श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय

एडीजीसी-श्री अनुज कटियार

को0 मो0 - का0 बन्टी कुमार

पैरोकार- का0 सुमित राठी